संख्या : 09/2017/1640/छप्पन-2016-4/2009

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2017

विषय :नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ स्थित हैंगर संख्या-2 के जीर्णोद्धार/ पुर्ननिर्माण/विस्तारीकरण/सुदृढीकरण आदि कार्यों के लिये तृतीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-555/ना0उ0नि0/हैंगर नं0-2, दिनांक 14-12-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ परिसर स्थित हैंगर संख्या-2 के जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण/विस्तारीकरण/ सुदृढ़ीकरण कार्यों को कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ से कराये जाने हेतु उनके द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या-19/2015/432/ छप्पन-2015-4/2009, दिनांक 27.3.2015 द्वारा रूपये 2823-59 लाख की लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त के रूप में कुल रूपये 2258.44 लाख (रूपये बाईस करोड़ अठावन लाख चौवालिस हजार मात्र) की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गई है। अवमुक्त धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग हो चुका है। अत: अब तृतीय किश्त के रूप में योजना की लागत की 15 प्रतिशत धनराशि रूपये 423.54 लाख (रूपये चार करोड़ तेईस लाख चौवन हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 में लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ परिसर स्थित हैंगर संख्या-2 के जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण/ विस्तारीकरण/ सुदृढ़ीकरण आदि कार्यों के लिए तृतीय किश्त के रूप में रूपये 423.54 लाख (रूपये चार करोड़ तेईस लाख चौवन हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- कार्यो के पूर्ण होने पर गुण्वत्ता की जांच की जायेगी1 जांचोपरान्त कार्यो की गुण्वत्ता संबंधी आख्या निदेशक, नागरिक उडडयन, उ0प्0 द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। तदुपरान्त ही कार्यदायी संस्था की मॉग पर शेष 05 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव निदेशक, नागरिक उडडयन, उ0प्र0 द्वाराअपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-19/2015/432/छप्पन-2015-4/2009, दिनांक 27-3-2015 में उल्लिखित सभी शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के पूॅजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 5053-नागर विमानन पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 09/2017/1640(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0111 आडिट भवन, टी;सी;-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- महाप्रबन्धक, कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- नियोजन अनुभाग-5
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in